

लखनऊ औद्योगिक विकास प्राधिकरण,

लखनऊ।

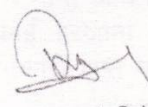
संख्या/ल0औ0वि0प्रा0 दि0.....

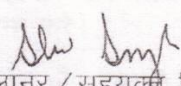
निर्माणार्थ अनुमति - पत्र

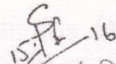
यह अनुमति उ0 प्र0 औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 एवं इसके साथ पठित माडल बिल्डिंग वार्डलाज 1977 के अंतर्गत दी जाती है किन्तु इसका अर्थ यह न समझा जाना चाहिये कि भूमि के संबंध में जिस पर निर्माण हुआ है इस किसी प्रकार या किसी स्थानीय निवास या स्थानी अधिकारी या व्यक्ति अथवा फर्म के मालिकाना अधिकारों पर किसी का कोई असर पड़ेगा अर्थात् यह अनुमति किसी के मिल्कियत या स्वामित्व के अधिकारों के विरुद्ध कोई प्रभाव न रखेगा।

निम्नलिखित प्रतिबंधों के आधार पर अनुमति दी जाती है कि श्री/ श्रीमती/ श्री सौरभ कुमार पाण्डेय पुत्र श्री सूर्य कुमार पाण्डेय डायरेक्टर प्रोप्रेलेरिटी होम्स प्रा0 लि0 नि0 फ्लैट न0 903 ऑरेंज काउन्टी इन्डिया पुरम गाजियाबाद उ0प्र0 रजिस्टर्ड आफिस सी-56 ए /13 सेकेंड फ्लोर सेक्टर 62 नोएडा 201307 द्वारा ग्राम बिजनौर परगना बिजनौर तहसील लखनऊ जिला लखनऊ के खसरा सं0 2335,2336,2341,2340 के क्षेत्रफल 28710.00 वर्गमीटर पर नक्शे में दर्शित स्थान पर बहुमंजिले भवन (आवासीय)/संशोधित ग्रुप हाउसिंग जो प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत किये गये है। विन्हित संशोधित भवन मानचित्र के अनुसार निर्माण हेतु प्रस्तुत संशोधित बहुमंजिलीय भवन (आवासीय) का अनुमोदन पत्रावली संख्या 220/लीडा/सी.ई.ओ. /2015-16 के गेट पृष्ठ सं0 1से 9 पर दिनांक 14.01.16 को मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा दिया जा चुका है।


सहायक प्रबंधक (परि०)
(जोन - लखनऊ)


प्रबंधक (परियोजना)


टाउन प्लानर/सहयुक्त नियोजक


वरिष्ठ प्रबंधक (परियोजना)

दिनांक-